कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 1522 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून, दिसम्बर , 10 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, वन विभाग कॉलोनी, देहरादून ।

विषयः जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुड से कोटला मोटर मार्ग हेतु अपेक्षित 3.0415 हे0 वन भूमि का वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव ।

संदर्भः प्रस्ताव संख्या FP/UK/ ROAD/ 9662 /2015

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग,बड़कोट ने अपने कार्यालय पत्रांक 1225/12–1दिनांक 04–11–2015 द्वारा जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुड से कोटला मोटर मार्ग निर्माण हेतु अपेक्षित 3.0415 है0 वन भूमि , वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित गया किया है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई X चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं,की संख्या
1	2	3	4	5	6
अपर यमुना / रंवाई रेंज	आरक्षित वन भूमि बिंयाली कक्ष 1बी,2बी,4ए, तथा 10बी	3820 X 7	2.6740	22	7 बांज वृक्ष बाधित हैं
	सिविल वन भूमि ग्राम कुड एवं कोटला	525 X 7	0.3675	12	बांज वृक्ष बाधित नहीं हैं।
	योग वन भूमि	**4345**	**3.0415**	**34**	**07 वृक्ष**
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट रंवाई रेंज	**नाप भूमि– कुड कोटला**	1655 X 7	1.1585	139	08 वृक्ष
	कुल योग	6000 मी0	—	173	**15**

जिलाधिकारी,उत्तरकाशी के द्वारा वांछित वन भूमि में गैरवानिकी कार्य हेतु संस्तुति की गई है। मार्ग के समरेखण में वन भूमि में कुल 34 वृक्ष बाधित हैं,जिसमें 07 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं। नाप भूमि में कुल 139 वृक्ष बाधित हैं,जिसमें 8 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं।

बांज वृक्षों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, बड़कोट के साथ दिनांक 17–10–2015 को किया गया है। निरीक्षण टिप्पणी भाग तीन के साथ ही संलग्न है।

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग,बड़कोट की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र– III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है। उक्त की हार्ड प्रति अलग से भी प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि ।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

संख्या 1522 (1) /12-1 (1) उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट को उनके पत्रांक 1225/ 12–1 दिनांक 04–11–2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,

भाग–III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुड से कोटला मोटर मार्ग हेतु अपेक्षित 3.0415 हे0 वन भूमि का वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव ।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी,हाँ । अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना के साथ मार्ग के समरेखण में बाधित हो रहे बांज वृक्षों का निरीक्षण दिनांक 17–10–2015 को किया गया । निरीक्षण टिप्पणी अगले पृष्ठ में दी जा रही है।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांग 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

दिनांक – 10 दिसम्बर ,2015
स्थान – देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम – (आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

निरीक्षण टिप्पणी

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कुड से कोटला मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 6.00कि0मी0) हेतु अपेक्षित 3.0415 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु मार्ग के समरेखण में बाधित हो रहे बांज वृक्षों की निरीक्षण टिप्पणी ।

भूमि का प्रकार	रेंज /ब्लाक	**बाधित बॅाज वृक्षों का ब्यास वर्ग वार विवरण**									
		0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	योग
आरक्षित वन भूमि	बिंयाली कं0 नं 1बी, 2बी 4 ए तथा 10 बी	0	0	03	0	2	02	0	0	0	7
	योग वन भूमि	**0**	**0**	**03**	**0**	**02**	**02**	**0**	**0**	**0**	**7**
नाप भूमि	**कुड कोटला**	**0**	**0**	**2**	**3**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**8**
कुल योग		**0**	**0**	**5**	**3**	**4**	**3**	**0**	**0**	**0**	**15**

बांज से अतिरिक्त वृक्षों का विवरण

भूमि का प्रकार	वृक्ष प्रजाति	**बांज से अतिरिक्त अन्य प्रजाति के वृक्ष जो बाधक है, की संख्या**										
		0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90से ऊपर	योग
आरक्षित बिंयाली कं0 नं 1बी, 2बी 4 ए तथा 10 बी	, चीड़	0	0	2	1	2	1	2	1	0	0	9
	कुकाट	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	आंयार			0	2	0	0					2
	बुरांश			1	1		0					2
योग		**0**	**0**	**5**	**4**	**2**	**1**	**2**	**1**	**0**	**0**	**15**
सिविल भूमि कुड कोटला	चीड			1	1	3	2	0	0	0	0	7
	देवदार		0	1	0	1	3	0	0	0	0	4
योग				**2**	**1**	**4**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**
		कुल	**योग**	**7**	**5**	**6**	**6**	**2**	**1**	**0**	**0**	**27**

भूमि का प्रकार	वृक्ष प्रजाति	**नाप भूमि में अन्य प्रजाति के वृक्ष जो बाधक है, की संख्या**										
		0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90से ऊपर	योग
नाप	देवदार	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	3
भूमि	चीड़	–	4	17	15	19	11	10	5	5	5	91
कुड	खड़िक	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	01
कोटला	अंयार	–	–	6	6	3	1	–	–	–	–	16
	बुंराश	–	–	–	3	2	1	–	–	–	–	06
	कुकाट	–	2	5	3	2	1	–	–	–	–	13
	मौरू	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	योग	**0**	**06**	**29**	**28**	**26**	**16**	**11**	**5**	**5**	**5**	**131**

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में वन भूमि में 34 वृक्ष बाधित हैं,जिसमें 07 वृक्ष बांज के सम्मिलित हैं।

नाप भूमि में कुल 139 वृक्ष बाधित हैं जिनमें 8 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं। मार्ग के समरेखण में कुल 15 वृक्ष बांज प्रजाति के बाधित हो रहे हैं। प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में आ रहे बांज वृक्षों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग,बड़कोट के साथ दिनांक 17–10–2015 को किया गया है । उक्त मार्ग के निर्माण से कुड, नाल्ड तथा कोटला के ग्रामवासियों को मुख्य मार्ग से जुड़ने में सुविधा होगी ।

वन संरक्षक
यमुना वृत्त उत्तराखण्ड